HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 20556/2019
CNR: RJHC021047022019 | URN: CW / 38563U / 2019

Union Bank Of India, Through Its Authorized Officer, Ssi Finance Branch, Ghaziabad, 24, Navyug Market, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh

----Petitioner

Versus

1. Inspector General Of Police, Bharatpur Range, Bharatpur.
2. Superintendent Of Police, Bharatpur, Distt. Bharatpur.
3. Smt. Santosh Choudhary Wife Of Late Shri Vijay Pal Singh, Resident Of Vijay College Of Education, Mahendra Enclave, Z Block, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
4. Smt. Mamta Choudhary D/o. Late Shri Vijay Pal Singh, Resident Of Vijay College Of Education, Mahindra Enclave Z Block, Shastri Nagar, Ghaziabad, U.p. Second Address Flat No. 718, Gaur Heights Apartment, Sector-4, Near Chandra Lakshmi Hospital, Vaishali, Ghaziabad, U.p.
5. Chanchal Choudhary D/o. Late Shri Vijay Pal Singh, Resident Of Vijay College Of Education, Mahindra Enclave Z Block, Shastri Nagar, Ghaziabad, U.p. Second Address Flat No. 718, Gaur Heights Apartment, Sector-4, Near Chandra Lakshmi Hospital, Vaishali, Ghaziabad, U.p.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Ms. Anita Aggarwal
For Respondent(s)	:	Mr. Dileep Singh Jadaun Mr. Vishnu Dutt Sharma, AAAG, Ms. Sunita Meena, AGC, Ms. Epsa Nangalia for Mr. Bhuwnesh Sharma, AAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

04/08/2026

याची–बैंक ने यह सिविल रिट याचिका धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक

07.02.2019 की पालना हेतु तथा जिला पुलिस अधीक्षक, भरतपुर के पत्र दिनांक 15.05.2019 को चुनौती देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

आज यह याचिका अन्य सिविल रिट याचिका संख्या 11063/2019 के साथ संलग्न होकर सूचीबद्ध हुई है तथा संलग्न रिट याचिका याची की ओर से सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर पारित आदेश दिनांक 11.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय के रोस्टर की नहीं है।

अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सिविल रिट याचिका संख्या 11063/2019 को इस याचिका से पृथक कर सूचीबद्ध किया जावे।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि याची–बैंक को कब्जा प्राप्त हो चुका है और जो अनुतोष याची द्वारा चाहा गया था, वह उन्हें प्राप्त हो चुका है।

अयाची–सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उनके द्वारा कब्जा बैंक को सौंपा जा चुका है और इस संबंध मे रिपोर्ट भी दी जा चुकी है।

ऐसी स्थिति में अब इस याचिका में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणामतः निष्फल होने से यह याचिका निरस्त की जाती है। तद्नुसार विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

134/VISHAL SHARMA